अध्याय I: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1.1 निष्पादन सम्बन्धी वेतन के भुगतान पर डीपीई दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सीपीएसई के मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को ध्यान में रख कर ही कर्मचारियों को निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) का वितरण किया जाना था। लेकिन राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने गैर- मुख्य गतिविधियों से प्राप्त आय को भी पीआरपी वितरित करने के लिए माना।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर के कार्यकारियों और गैर-संघटित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को मंजूरी देते समय (26 नवम्बर 2008) निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखी। सीपीएसई को अधिकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व' प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता थी ताकि 10 से 15 *प्रतिशत* तक से अधिक को उत्कृष्ट ग्रेड न दिया जाए और 10 *प्रतिशत* को सामान्य से नीचे ग्रेड दिया जाना है जिन्हें किसी भी पीआरपी[1] का भुगतान नहीं किया जाना है। इसके अलावा, डीपीई ने स्पष्ट किया[2] कि पीआरपी को केवल सीपीएसई के मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित लाभ के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) ने 2013-14 से 2017-18 वर्षों के लिए अपने कार्यकारियों को पीआरपी के रूप में ₹52.53 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- उर्वरक और रसायनों का विनिर्माण और विपणन कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य है और इसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के मुख्य व्यवसाय के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए पीआरपी की गणना करते समय, कंपनी ने प्राप्त किराए (₹126.47 करोड़), ब्याज आय (₹38.28 करोड़), लाभांश आय (₹0.78 करोड़), स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (₹2.44 करोड़), सरकारी अनुदान (₹0.90 करोड़) और विविध आय[3] (₹25 करोड़) जो कि कुल मिलाकर ₹193.87 करोड़ बनता था, को आय में शामिल किया था जबकि ये गैर-मुख्य

---

[1] *दिनांक 6 जुलाई 2011 के डीपीई के स्पष्टीकरण के अनुसार*

[2] *2 नवंबर 2010, 18 सितंबर 2013 और 02 सितंबर 2014*

[3] *विविध आय-प्रतिभूति जमा/ अग्रिम धन जमा - ₹13.23 करोड़, बिजली के बिलों के जल्दी भुगतान पर नकद छूट - ₹11.55 करोड़, फैक्ट्री परिसर से एकत्र किए गए फलों/ नारियल/ लकड़ी की बिक्री के कारण बागवानी आय - ₹0.22 करोड़*

कार्यकलापों से अर्जित आय हैं। इस तरह के गैर-मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से आय को शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹5.05 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ है।

- हालांकि पीआरपी के प्रयोजन के लिए मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से केवल लाभ को शामिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण डीपीई द्वारा 2010 के बाद से तीन बार जारी किया गया था, कंपनी के निदेशक मंडल ने केवल 2017-18 के लिए पीआरपी को मंजूरी देते समय स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। शेष वर्षों के लिए, पीआरपी के भुगतान को अंतिम रूप देते समय मुख्य गतिविधियों सम्बन्धी पहलू पर विचार नहीं किया गया था। यहां तक कि 2017-18 के लिए, केवल एक मद अर्थात टीडीआर[4] से आय को पीआरपी की गणना के लिए कर पूर्व लाभ से कम कर दिया गया था, हालांकि आय के अन्य शीर्ष थे, जो स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यकलापों से नहीं थे, जैसा कि ऊपर पैरा में दर्शाया गया है।

- कंपनी ने 'सामान्य से नीचे' कर्मचारियों (बेल कर्व के नीचे वाले 10 *प्रतिशत*) को पीआरपी का भुगतान न करने के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इन कर्मचारियों को ₹2.58 करोड़ की राशि का पीआरपी प्रदान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (12 नवंबर 2019) कि

- कंपनी द्वारा अर्जित की गई कुछ आय जैसे प्राप्त किराया, वसूलियां, ब्याज, लाभांश आदि को व्यावसायिक गतिविधियों का ऑफशूट बताया गया है। इसके अलावा, इन्हें अलग से 'अन्य आय' के अन्तर्गत रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि लेखाकरण मानकों के अनुसार अनिवार्य है और इन्हें कुल खर्च घटाकर से बाहर नहीं किया जा सकता है।

- भारत सरकार (जीओआई) लागत डेटा के आधार पर यूरिया पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें स्थायी लागत, निवल अन्य आय शामिल है। तदनुसार ऐसी आय कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है।

- सीपीएसई के लाभप्रदता निष्पादन की निगरानी सरकार द्वारा समग्र स्तर पर की जा रही है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया है और केवल मुख्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है।

उपरोक्त उत्तर को निम्नलिखित के विरूद्ध देखा जाना है:

- डीपीई ने इस बात पर जोर दिया है कि पीआरपी के उद्देश्य के लिए केवल मुख्य गतिविधियों पर विचार किया जाना है और इसलिए ऑफशूट गतिविधियों या गैर-मुख्य गतिविधियों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

---

[4] ***टीडीआर का अर्थ है हस्तांतरणीय विकास अधिकार जो प्रमाणपत्र के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका मालिक बाद में उपयोग कर सकता है अथवा बाजार में इसका ट्रेड कर सकता है***

- यूरिया पर आर्थिक सहायता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया आधार पीआरपी की गणना के लिए मानदंड नहीं हो सकता है। जबकि सरकार द्वारा नीति के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, पीआरपी कर्मचारी लाभ का एक हिस्सा है।
- यद्यपि सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन एक समग्र स्तर पर किया जाता है, लेकिन पीआरपी के भुगतान के लिए डीपीई द्वारा अलग-अलग दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को ₹5.05 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान किया है।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।